

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

ई-मेल-cfaligarh@gmail.com.

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)
पत्रांक 1821 / 14-1(44699 / 2020) दिनांक: अलीगढ़: दिसम्बर: 27, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) किमी 0.03 (चैनेज-2.243) की बांयी पट्टरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार की पत्र सं०-08वी/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ.सी./६९९ दिनांक 24.11.2022
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-1793/35-1 दिनांक 17.12.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्न प्रकार 03 प्रति में संलग्न सहित प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1	If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	The permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by the State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc is inclosed. (संलग्नक-1)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई०ओ०सी० भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।